



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 106

दर्ज तिथि:-21.04.2023

1. पेमाराम पुत्र कानाराम
2. रूपाराम पुत्र कानाराम
3. देवीलाल पुत्र चौखाराम
4. पारुदेवी पत्नी चौखाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पुनमाराम पुत्र कानाराम
2. वीरमाराम पुत्र कानाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा गुढामालानी
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना
5. तहसीलदार नौखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

6. लाछीदेवी पत्नी पुनमाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:संशोधित निर्णय:-

संशोधित निर्णय तिथि:-07.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये



जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 241/1/18.1299 है0, 246/0.0647 है0, 247/20.6227 है0 एवं खेत खसरा 241/11/9.3968 है0 वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.07.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1761 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सहमति प्रदान कर खसरा संख्या 241/11 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1761 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 14.10.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/511-517 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/511-517 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 241/1/18.1299 है0, 246/0.0647 है0, 247/20.6227 है0 एवं खेत खसरा 241/11/9.3968 वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 पुनमाराम पुत्र कानाराम द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि खसरा संख्या 241/11 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे। इस पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एवं 06 का खसरा संख्या 241/11 में 1/4-1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना

आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.03.2025 को अंतिम निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-152 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 का पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2025 में लिपिकीय त्रुटि से प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 06 हेतु प्रस्तावित आराजी में खसरा संख्या 241/11 के स्थान पर 241/1 अंकित कर दिया गया है। जबकि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 06 हेतु खसरा संख्या 241/11 में आराजी प्रस्तावित की गई थी। अतः वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2025 में उक्तानुसार संशोधन किया जाने का निवेदन किया गया है।
5. हमने वकील वादी की बहस सुनी एवं प्रार्थना-पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2024/1761 दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव एवं पक्षकारान सहमति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 06 को खसरा संख्या 241/11 में आराजी प्रस्तावित की गई है। परंतु निर्णय दिनांक 07.03.2025 में लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 241/1 अंकित कर दी गई है। अतः उक्तानुसार निर्णय दिनांक 07.03.2025 में प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 06 हेतु प्रस्तावित आराजी खसरा संख्या 241/1 के स्थान पर 241/11 का संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का

खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 241/1/18.1299 है0, 246/0.0647 है0, 247/20.6227 है0 एवं खेत खसरा 241/11/9.3968 वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

सत्यमेव जयते

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पेमाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन-बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना खसरा नं. 247, 241/1	राणासर खुर्द	246	0.0647	गै.मु.ढाणी
		247	3.6745	बा0सो0
		247	0.5261	बा0सो0
		247	1.5216	बा0सो0
		241/11	1.3031	बा0सो0
		241/1	2.9461	बा0सो0
कुल किता 06 रकबा 10.0361 है0				
रूपाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन-RMGB शाखा गुड़ामालानी	राणासर खुर्द	247	3.8445	बा0सो0
		247	3.7797	बा0सो0
		241/1	2.4119	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 10.0361 है0				

देवीलाल पुत्र चौखाराम हि0 2/3 माडूदेवी पत्नी चौखाराम हि0 1/3 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	241 / 1	8.0370	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 8.0370 है0				
पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 रहन- RMGB शाखा गुडामालानी वीरमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	247 247 247 241 / 1	3.1889 1.9263 2.1205 4.7349	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 11.9706 है0				
लाछीदेवी पत्नी पुनमाराम हि0 1/4 पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/4 रहन- RMGB शाखा गुडामालानी वीरमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	241 / 11	8.0937	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 8.0937 है0				
रूपाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 पेमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	247	0.0406	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0406 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 106

दर्ज तिथि:-21.04.2023

1. पेमाराम पुत्र कानाराम
2. रूपाराम पुत्र कानाराम
3. देवीलाल पुत्र चौखाराम
4. पारुदेवी पत्नी चौखाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पुनमाराम पुत्र कानाराम
2. वीरमाराम पुत्र कानाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा गुडामालानी
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना
5. तहसीलदार नौखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

6. लाछीदेवी पत्नी पुनमाराम

जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:संशोधित पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार
किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 241/1/18.1299

है0, 246/0.0647 है0, 247/20.6227 है0 एवं खेत खसरा 241/11/9.3968 वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पेमाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन-बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना खसरा नं. 247, 241/1	राणासर खुर्द	246 247 247 247 241/11 241/1	0.0647 3.6745 0.5261 1.5216 1.3031 2.9461	गै.मु.ढाणी बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 06 रकबा 10.0361 है0				
रूपाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन-RMGB शाखा गुड़ामालानी	राणासर खुर्द	247 247 241/1	3.8445 3.7797 2.4119	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 10.0361 है0				
देवीलाल पुत्र चौखाराम हि0 2/3 माडूदेवी पत्नी चौखाराम हि0 1/3 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	241/1	8.0370	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 8.0370 है0				
पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 रहन- RMGB शाखा गुड़ामालानी वीरमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	247 247 247 241/1	3.1889 1.9263 2.1205 4.7349	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 11.9706 है0				
लाछीदेवी पत्नी पुनमाराम हि0 1/4 पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/4 रहन- RMGB शाखा गुड़ामालानी वीरमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	241/11	8.0937	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 8.0937 है0				
रूपाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 पेमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	राणासर खुर्द	247	0.0406	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0406 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेंगे।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी—बाड़मेर

